24/3/18	पत्रावली पेश हुई। आवेदक प्रार्थी हाजिर नहीं। अधिवक्ता प्रार्थी की उप-स्थित नहीं। समय समाप्ति तक इन्तजार कर आवाज लगवाई गई, किन्तु प्रार्थी अधिवक्ता हाजिर नहीं। न ही प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से कोई हाजिर। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 111-बी 8 पठित 1956 की अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली की बाबत निर्णय इत्तला की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.30 17:31:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner